2018] 14 एस.सी.आर. 904

हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

मंग सिंह

(2018 की आपराधिक अपील संख्या 1481) 28 नवंबर, 2018

[न्ययपीठ आर भानुमति और इंदिरा बनर्जी]

दंड संहिता, 1860 – धारा 376 – अभियोक्ता–पीडब्ल्यू –4 अपनी चाची के घर में रह रही थी – प्रतिवादी–आरोपी चाची का बेटा है – प्राथमिकी में कहा गया है कि प्रतिवादी अभियोक्ता को अपने साथ सुलाता था और उसके साथ यौन संबंध बनाता था – ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी को दोषी ठहराया – उच्च न्यायालय ने सजा को उलट दिया – अपील पर: ट्रायल कोर्ट, जिसे अभियोक्ता को देखने और सुनने का अवसर मिला, इस तथ्य को दर्ज किया गया कि अभियोक्ता के साक्ष्य विश्वसनीय हैं और अदालत के विश्वास को प्रेरित करते हैं – किसी भी ठोस कारण के अभाव में, उच्च न्यायालय को इस तरह के तथ्य के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था – इसके अलावा, केवल इसलिए कि हाइमन / चोट के निशान का कोई टूटना नहीं था, यह नहीं कहा जा सकता है कि संभोग का कोई सवाल नहीं था – यह अभियोक्ता की गवाही पर अविश्वास करने का कारण नहीं हो सकता है । वह अपनी चाची के घर वापस जाने के लिए अनिच्छुक थी और उसने प्रतिवादी द्वारा अपने शिक्षकों, पीडब्ल्यू –1 और पीडब्ल्यू –2 से किए गए यौन संभोग के कृत्य की शिकायत की – अभियोक्ता लगभग नौ साल की उम्र की एक युवा लड़की होने के नाते, प्रतिवादी को झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं था – अभियोक्ता के साक्ष्य ने स्थापित किया कि आरोपी प्रवेश द्वारा उसके साथ बलात्कार कर रहा था – महिलाओं के खिलाफ अपराध।

साक्ष्य – बलात्कार – अभियोक्ता की एकमात्र गवाही – की सराहना – पर चर्चा की गई।

साक्ष्य – बलात्कार – अभियोक्ता के शरीर पर बाहरी चोट की अनुपस्थिति – का प्रभाव – माना जाता है: प्रतिवादी–अभियुक्त (अभियोक्ता का चचेरा भाई) अभियोक्ता को अपने साथ सुलाता था और अभियोक्ता के निजी अंग में अपना निजी अंग डालता था जो बलात्कार का गठन करता है – इससे हाइमन फट नहीं सकता है – बलात्कार के मामले में यह आवश्यक नहीं है कि अभियोक्ता के शरीर पर बाहरी चोट पाई जाए – अभियोक्ता पर चोटों की अनुपस्थिति अभियोक्ता के निजी अंग का वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कोई परिणाम नहीं हो सकता है।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम मंग सिंह

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने कहा:

1.1 अभियोक्ता की एकमात्र गवाही पर दोषसिद्धि कायम रह सकती है, यदि यह विश्वास को प्रेरित करती है। दोषसिद्धि पूरी तरह से अभियोक्ता के एकान्त साक्ष्य पर आधारित हो सकती है और किसी भी पुष्टि की आवश्यकता नहीं हो सकती है जब तक कि ऐसे बाध्यकारी कारण न हों जो अदालतों को उसके बयान की पुष्टि के लिए जोर देने की आवश्यकता हो। अभियोक्ता की गवाही की पुष्टि कानून की आवश्यकता नहीं है; लेकिन दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों के तहत विवेक का मार्गदर्शन। मामूली संकुचन या छोटी विसंगतियां अभियोक्ता के साक्ष्य को फेंकने का आधार नहीं होनी चाहिए। बलात्कार के मामले में दोषसिद्धि के लिए पुष्टि करना अनिवार्य नहीं है। यदि पीड़ित का साक्ष्य किसी भी बुनियादी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है और 'संभावना कारक' इसे विश्वसनीयता के योग्य नहीं बनाता है। एक सामान्य नियम के रूप में, चिकित्सा साक्ष्य के अलावा पुष्टि पर जोर देने का कोई कारण नहीं है। हालांकि, मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, चिकित्सा साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। ऐसे मामलों में, अभियोक्ता की एकान्त गवाही दोषसिद्धि को आधार बनाने के लिए पर्याप्त होगी, अगर यह अदालत के विश्वास को प्रेरित करती है। अभियोक्ता केवल नौ साल की थी, उसके पास अपने चचेरे भाई को झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं था। चूंकि अभियोक्ता को प्रतिवादी–अभियुक्त के साथ हर रात सोने की अग्निपरीक्षा का सामना करने के लिए मजबूर किया गया है, इसलिए 04–03–2010 को उसने अपनी चाची के घर जाने से इनकार कर दिया। पीडब्ल्यू –4 के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए – एक सामान्य वर्ष की लड़की, अभियोक्ता के साक्ष्य के एक स्वतंत्र स्रोत से पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। अभियोक्ता के साक्ष्य ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि आरोपी प्रवेश द्वारा उसके साथ बलात्कार कर रहा था। [पैरा 11, 12 और 14] [909–सी–एफ; 910–डी–ई]

1.2 ट्रायल कोर्ट, जिसे अभियोक्ता (पीडब्ल्यू –4) को देखने और सुनने का अवसर मिला था, ने इस तथ्य का निष्कर्ष दर्ज किया कि अभियोक्ता (पीडब्ल्यू –4) के साक्ष्य विश्वसनीय हैं और अदालत के विश्वास को प्रेरित करते हैं। जब ट्रायल कोर्ट ने माना कि अभियोक्ता (पीडब्ल्यू –4) के साक्ष्य अदालत के विश्वास को प्रेरित करते हैं, तो किसी भी ठोस कारण के अभाव में, उच्च न्यायालय को इस तरह के तथ्य के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। पीडब्ल्यू –6, डॉक्टर ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि केवल इसलिए कि चोट के कोई निशान नहीं थे, यह नहीं कहा जा सकता है कि संभोग का कोई सवाल ही नहीं था। अपनी मुख्य परीक्षा में पीडब्ल्यू–6 ने आगे कहा है कि छोटी/थोड़ी सी पैठ के मामले में सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018]
हाइमन फट नहीं जाएगा; हाइमन केवल बल के साथ पूर्ण प्रवेश के मामले में टूट जाएगा। प्रतिवादी–आरोपी ने अभियोक्ता को अपने साथ सुला दिया और अभियोक्ता के निजी अंग में अपना निजी अंग डाल दिया जो बलात्कार का मामला है। इससे हाइमन फट नहीं सकता है। अभियोक्ता के निजी अंग पर चोट के अभाव में, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि घटना नहीं हुई थी या यौन संभोग अभियोक्ता की सहमति से किया गया था। अभियोक्ता लगभग नौ साल की उम्र का एक छोटा बच्चा होने के नाते, यौन संभोग के लिए सहमति देने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। अभियोक्ता के निजी अंग पर चोटों की अनुपस्थिति वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कोई परिणाम नहीं हो सकती है। बलात्कार के मामले में यह आवश्यक नहीं है कि अभियोक्ता के शरीर पर बाहरी चोट पाई जाए। [पैरा 15–17] [910–ई–एच; 911–ए–सी]

1.3 मामले की पृष्ठभूमि के आलोक में अभियोक्ता की गवाही की सराहना की जानी चाहिए; इससे भी अधिक, अभियोक्ता अपनी चाची के घर वापस जाने के लिए अनिच्छुक थी और प्रतिवादी–अभियुक्त द्वारा किए गए यौन

संभोग के कृत्य की शिकायत अपने शिक्षकों, पीडब्ल्यू –1 और पीडब्ल्यू –2 से की थी। अभियोक्ता के साक्ष्य और ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए स्पष्ट निष्कर्षों के प्रकाश में, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी–अभियुक्त की दोषसिद्धि को उलटने और प्रतिवादी–अभियुक्त को बरी करने का आदेश दर्ज करने में उचित नहीं था। आरोपी को संदेह का लाभ देने के लिए, यह एक उचित संदेह होना चाहिए। उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय टिकाऊ नहीं है और इसे रद्द किया जाता है। चूंकि घटना के समय पीड़िता अपनी कम उम्र में थी, इसलिए प्रतिवादी के प्रति सहानुभूति दिखाने का कारण है। ट्रायल कोर्ट के फैसले को धारा 376 आईपीसी के तहत प्रतिवादी की दोषसिद्धि और दस साल के कारावास की सजा की पुष्टि करते हुए बहाल किया जाता है। [पैरा 19, 21 और 22] [911–ई–एफ; 912–एच; 913–ए–सी]

पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह और अन्य (1996) 2 एससीसी 384: [1996] 1 एससीआर 532;

राजस्थान राज्य बनाम एन.के. आरोपी (2000) 5 एससीसी 30: [2000] 2 एससीआर

818 – पर भरोसा किया।

केस लॉ रेफरेंस [1996] 1 एससीआर 532 पैरा 13 [2000] 2 एससीआर 818 पर आधारित है जो हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम मंगा सिंह आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2018 की आपराधिक अपील संख्या 1481 पर आधारित है।

शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 22.10.2014 के निर्णय और आदेश से 2010 की आपराधिक अपील संख्या 523 में।

सुश्री बिहू शर्मा, सुश्री पूर्णिमा कृष्णा, सुश्री प्रतिष्ठा विज (अभिनव मुखर्जी के लिए), अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता।

सुश्री मंजीत चावला, प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय जो न्यायधीश बानुमति द्वारा दिया गया

1. छूट दी गई।

2. यह अपील शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 22 अक्टूबर, 2014 के 2010 की आपराधिक अपील संख्या 523 के फैसले और आदेश से उत्पन्न होती है, जिसमें उच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 376 के तहत प्रतिवादी–अभियुक्त की दोषसिद्धि के फैसले को बरी करने के लिए पलट दिया है और प्रतिवादी–अभियुक्त पर लगाए गए 10™ साल के कारावास की सजा को भी रद्द कर दिया है।

3. अभियोजन पक्ष के मामले को संक्षेप में बताया गया है कि अभियोक्ता (पीडब्ल्यू –4), जो संबंधित समय में

लगभग 9 वर्ष का था, सरकारी प्राथमिक विद्यालय में कक्षा –3 में पढ़ रहा था। अभियोक्ता (पीडब्ल्यू–4) अपने भाई के साथ अपनी चाची के घर में रह रही थी। प्रतिवादी–अभियुक्त अभियोक्ता (पीडब्ल्यू –4) का चचेरा भाई (चाची का बेटा) है।

4. 4 मार्च, 2010 को, स्कूल की छुट्टी के बाद, अभियोक्ता (पीडब्ल्यू –4) अपनी चाची के घर जाने के लिए बहुत अनिच्छुक थी जहां वह रह रही थी; और वह स्कूल वापस आ गई। पूजा महाजन (पीडब्ल्यू–1), स्कूल शिक्षक और अन्य शिक्षकों द्वारा पूछे जाने पर, अभियोक्ता (पीडब्ल्यू –4) ने शिक्षकों, पूजा महाजन (पीडब्ल्यू –1) और रितुबाला (पीडब्ल्यू –2) को सूचित किया कि वह अपनी चाची के घर में रहती है और प्रतिवादी–आरोपी उसे अपने साथ सुलाता था और रात के दौरान प्रतिवादी–आरोपी उसके कपड़े उतारता था और उसके साथ यौन संबंध बनाता था। अभियोक्ता ने कहा कि प्रतिवादी–आरोपी लगभग तीन साल से ऐसा कर रहे थे। अभियोजन पक्ष से यह सुनने के बाद स्कूल की शिक्षिका पूजा महाजन (पीडब्ल्यू–1) ने ग्राम पंचायत (पीडब्ल्यू–3) के अध्यक्ष को सूचित किया, जो स्कूल आए और पूछताछ की, जिसके बाद अभियोक्ता (पीडब्ल्यू–4) ने राष्ट्रपति को बताया कि प्रतिवादी–आरोपी रात के दौरान उसके साथ यौन संबंध बना रहा था। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 14 एस.सी.आर.

5. शिक्षिका, पूजा महाजन (पीडब्ल्यू –1) द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई थी, और प्रतिवादी–आरोपी के खिलाफ धारा 376 आईपीसी के तहत एक F.LR दर्ज की गई थी। डॉ. नीरजा गुप्ता (पीडब्ल्यू –6) जिन्होंने अभियोक्ता (पीडब्ल्यू –4) की चिकित्सकीय जांच की, ने पाया कि उसके निजी अंगों पर कोई चोट नहीं पाई गई थी। डॉ. नीरजा गुप्ता (पीडब्ल्यू–6) ने लिखित रूप में अपनी राय दी (एमएलसी एक्स.पीडब्ल्यू6/बी) जिसमें उन्होंने कहा है कि "मामूली या छोटी पैठ के मामले में, हाइमन नहीं टूटेगा"। डॉ. पूजा गुप्ता (पीडब्ल्यू–7) ने अभियोक्ता (पीडब्ल्यू–4) की भी जांच की।

6. अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने अभियोक्ता (पीडब्ल्यू –4), स्कूल शिक्षकों, पूजा महाजन (पीडब्ल्यू –1) और रितुबाला (पीडब्ल्यू –2), और ग्राम पंचायत (पीडब्ल्यू –3) के अध्यक्ष और अन्य गवाहों से पूछताछ की है। अभियोक्ता (पीडब्ल्यू –4) के साक्ष्य और चिकित्सा साक्ष्य के आधार पर, ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी–अभियुक्त को धारा 376 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया और उसे दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अपील में, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी–अभियुक्त की दोषसिद्धि के फैसले को केवल इस आधार पर पलट दिया कि डॉ. नीरजा गुप्ता (पीडब्ल्यू –6) और डॉ पूजा गुप्ता (पीडब्ल्यू –7) की राय यह मानने के लिए निर्णायक नहीं है कि प्रतिवादी–अभियुक्त ने अभियोक्ता के साथ जबरन यौन संबंध बनाए हैं। उच्च न्यायालय ने माना कि अभियोक्ता (पीडब्ल्यू –4) के साक्ष्य दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए अदालत के विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं और प्रतिवादी–अभियुक्त संदेह के लाभ के हकदार हैं और उन निष्कर्षों पर उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को उलट दिया है और प्रतिवादी–अभियुक्त पर लगाए गए कारावास की दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया है।

7. नोटिस जारी होने के बावजूद प्रतिवादी ने उपस्थित नहीं हुआ है। तदनुसार, श्रीमती मंजीत चावला,

अधिवक्ता, को सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति द्वारा प्रतिवादी–अभियुक्त की ओर से अपील का विरोध करने के लिए न्यायमित्र के रूप में नामित किया गया है।

8. हमने अपीलकर्ता–राज्य की ओर से पेश वकील सुश्री बिहू शर्मा और न्यायमित्र श्रीमती मंजीत चावला को सुना है। हमने आक्षेपित निर्णय, गवाहों के साक्ष्य और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है।

9. उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी–अभियुक्त को मुख्य रूप से दो आधारों पर संदेह का लाभ दिया है: (1) अभियोक्ता का साक्ष्य (पीडब्ल्यू –4) विश्वास को प्रेरित नहीं करता है; और (ii) डॉ नीरजा गुप्ता (पीडब्ल्यू –6) डॉ पूजा गुप्ता (पीडब्ल्यू –7) के चिकित्सा साक्ष्य यह मानने के लिए निर्णायक नहीं हैं कि अभियोक्ता (पीडब्ल्यू –4) यौन संभोग के अधीन था। हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम मांग सिंह

[न्यायधीश बानुमति]

10. ट्रायल कोर्ट ने अभियोक्ता (पीडब्ल्यू –4) के साक्ष्य का विस्तार से उल्लेख किया है जो कंडवाल प्राथमिक विद्यालय में तीसरी कक्षा में पढ़ रही थी और अपनी चाची के घर में रह रही थी। अभियोक्ता (पीडब्ल्यू–4) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब वह अपनी पढ़ाई के लिए अपनी चाची के घर में रह रही थी, तो प्रतिवादी–आरोपी ने उसे अपने साथ सुला दिया और प्रतिवादी–आरोपी उसके कपड़े और अपने कपड़े उतार देता था और वह अपने निजी अंग से उसके निजी अंग को छूता था और उसके निजी अंग के अंदर अपना निजी अंग डालता था। प्रतिवादी–आरोपी ने उससे कहा था कि वह इसे किसी को न बताए अन्यथा वह उसकी जान ले लेगा। अभियोक्ता (पीडब्ल्यू –4) ने आगे कहा कि उसने अपनी शिक्षिका, पूजा महाजन (पीडब्ल्यू –1) और अन्य महिला शिक्षकों को उपरोक्त तथ्यों को बताया।

11. अभियोक्ता की एकमात्र गवाही पर दोषसिद्धि को बनाए रखा जा सकता है, यदि यह आत्मविश्वास को प्रेरित करता है। दोषसिद्धि पूरी तरह से अभियोक्ता के एकान्त साक्ष्य पर आधारित हो सकती है और किसी भी पुष्टि की आवश्यकता नहीं हो सकती है जब तक कि ऐसे बाध्यकारी कारण न हों जो अदालतों को उसके बयान की पुष्टि के लिए जोर देने की आवश्यकता हो। अभियोक्ता की गवाही की पुष्टि कानून की आवश्यकता नहीं है; लेकिन दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों के तहत विवेक का मार्गदर्शन। मामूली संकुचन या छोटी विसंगतियां अभियोक्ता के साक्ष्य को फेंकने का आधार नहीं होनी चाहिए।

12. उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की एक श्रेणी से यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि बलात्कार के मामले में दोषसिद्धि के लिए पुष्टि करना अनिवार्य नहीं है। यदि पीड़ित का साक्ष्य किसी भी बुनियादी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है और 'संभावना कारक' इसे विश्वसनीयता के योग्य नहीं बनाता है। एक सामान्य नियम के रूप में, चिकित्सा साक्ष्य के अलावा पुष्टि पर जोर देने का कोई कारण नहीं है। हालांकि, मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, चिकित्सा साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। ऐसे मामलों में, अभियोक्ता की एकान्त गवाही दोषसिद्धि को आधार

बनाने के लिए पर्याप्त होगी, अगर यह अदालत के विश्वास को प्रेरित करती है।

13. पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह और अन्य – (1996) 2 एससीसी 384 में, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:

"8. अदालतों को सबूतों का मूल्यांकन करते समय इस तथ्य के प्रति सजग रहना चाहिए कि बलात्कार के मामले में कोई भी स्वाभिमानी महिला अपने सम्मान के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के लिए अदालत में आगे नहीं आएगी, जैसे कि उस पर बलात्कार करने में शामिल है। यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में, कथित विचार जिनका अभियोजन पक्ष के मामले की सत्यता पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता है या यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] के बयान में विसंगतियां भी हैं। अभियोक्ता को, जब तक कि विसंगतियां ऐसी न हों जो घातक प्रकृति की हों, अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन मामले को खारिज करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। महिलाओं की अंतर्निहित निंदा और यौन आक्रामकता के आक्रोश को छिपाने की प्रवृत्ति ऐसे कारक हैं जिन्हें अदालतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों में पीड़िता की गवाही महत्वपूर्ण है और जब तक कि उसके बयान की पुष्टि के लिए आवश्यक ठोस कारण न हों, अदालतों को एक आरोपी को दोषी ठहराने के लिए अकेले यौन उत्पीड़न की पीड़िता की गवाही पर कार्रवाई करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, जहां उसकी गवाही आत्मविश्वास को प्रेरित करती है और विश्वसनीय पाई जाती है। ऐसे मामलों में उस पर भरोसा करने से पहले उसके बयान की पुष्टि की मांग करना, चोट के अपमान को जोड़ने के बराबर है। बलात्कार या यौन उत्पीड़न की शिकायत करने वाली लड़की या महिला के साक्ष्य को संदेह, अविश्वास या संदेह के साथ क्यों देखा जाना चाहिए?.....।" (रेखांकित किया गया)

14. अभियोक्ता केवल नौ वर्ष की थी, उसके पास अपने चचेरे भाई को झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं था। चूंकि अभियोक्ता को प्रतिवादी–अभियुक्त के साथ हर रात सोने की अग्निपरीक्षा का सामना करने के लिए मजबूर किया गया है, इसलिए 04–03–2010 को उसने अपनी चाची के घर जाने से इनकार कर दिया। पीडब्ल्यू –4 के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए – एक सामान्य वर्ष की लड़की, अभियोक्ता के साक्ष्य के एक स्वतंत्र स्रोत से पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। अभियोक्ता के साक्ष्य ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि आरोपी प्रवेश द्वारा उसके साथ बलात्कार कर रहा था।

15. ट्रायल कोर्ट, जिसे अभियोक्ता (पीडब्ल्यू –4) को देखने और सुनने का अवसर मिला, ने इस तथ्य का निष्कर्ष दर्ज किया कि अभियोक्ता (पीडब्ल्यू –4) के साक्ष्य ठोस हैं और अदालत के विश्वास को प्रेरित करते हैं। जब ट्रायल कोर्ट जिसके पास गवाह को देखने और सुनने का अवसर था, ने कहा है कि अभियोक्ता (पीडब्ल्यू –4) के साक्ष्य अदालत के विश्वास को प्रेरित करते हैं, तो हमारे विचार से, किसी भी ठोस कारण के अभाव में, उच्च न्यायालय को इस तरह के तथ्य के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

16. जहां तक दूसरे आधार का सवाल है, जिस पर उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी–अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया कि चिकित्सा साक्ष्य अनिर्णायक था, यह इंगित किया जाना चाहिए कि डॉ. नीरजा गुप्ता (पीडब्ल्यू –6) ने

अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि केवल इसलिए कि चोट के निशान नहीं थे, यह नहीं कहा जा सकता है कि संभोग का कोई सवाल ही नहीं था। अपनी मुख्य परीक्षा में डॉ नीरजा गुप्ता (पीडब्ल्यू –6) ने आगे कहा है कि छोटे / मामूली प्रवेश के मामले में हाइमन फट नहीं जाएगा; हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम मांग सिंह [न्यायधीश बानुमति]
के पूर्ण प्रवेश के मामले में ही हाइमन फट जाएगा। बल के साथ। जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, प्रतिवादी–अभियुक्त ने अभियोक्ता (पीडब्ल्यू –4) को अपने साथ सुला दिया और अभियोक्ता के निजी अंग में अपना निजी अंग डाल दिया जो बलात्कार है। इससे हाइमन फट नहीं सकता है। अभियोक्ता के निजी अंग पर चोट के अभाव में, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि घटना नहीं हुई थी या यौन संभोग अभियोक्ता की सहमति से किया गया था। अभियोक्ता लगभग नौ वर्ष की आयु का एक छोटा बच्चा होने के नाते, यौन संभोग के लिए सहमति देने का कोई सवाल ही नहीं है। अभियोक्ता के निजी अंग पर चोटों की अनुपस्थिति वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कोई परिणाम नहीं हो सकती है।

17. जैसा कि डॉ. नीरजा गुप्ता (पीडब्ल्यू–6) ने ठीक ही कहा है कि केवल इसलिए कि हाइमन का टूटना नहीं हुआ था, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रवेश हुआ था। अभियोक्ता (पीडब्ल्यू –4) की गवाही पर अविश्वास करने का कारण नहीं हो सकता है। यह काफी अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि बलात्कार के मामले में यह आवश्यक नहीं है कि अभियोक्ता के शरीर पर बाहरी चोट पाई जाए।

18. प्रतिवादी–अभियुक्त की वकील श्रीमती मंजीत चावला ने प्रस्तुत किया है कि अभियोक्ता (पीडब्ल्यू –4) की चाची से पूछताछ न करना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है और कोई कारण नहीं है कि चाची से पूछताछ क्यों नहीं की गई।

19. यह ध्यान दिया जाए कि प्रतिवादी–अभियुक्त अभियोक्ता की चाची का बेटा है। प्रतिवादी–आरोपी को अपनी मां से गवाह के रूप में पूछताछ करने से किसी ने नहीं रोका। अभियोक्ता (पीडब्ल्यू–4) की चाची से पूछताछ न किए जाने को अभियोजन पक्ष के खिलाफ नहीं रखा जा सकता। अभियोक्ता के साक्ष्य और ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए स्पष्ट निष्कर्षों के प्रकाश में, हमारे विचार में उच्च न्यायालय प्रतिवादी–अभियुक्त की दोषसिद्धि को उलटने और प्रतिवादी–अभियुक्त को बरी करने के आदेश को दर्ज करने में उचित नहीं था। आरोपी को संदेह का लाभ देने के लिए, यह एक उचित संदेह होना चाहिए।

20. यह देखते हुए कि बलात्कार के मामलों में कई निर्दोष बरी किए गए हैं और अदालतों को जिम्मेदारी की अधिक भावना प्रदर्शित करनी होगी और महिलाओं पर यौन हमले के आरोपों से निपटने के दौरान अधिक संवेदनशील होना होगा। अभियुक्त – (2000) 5 एससीसी 30, इस न्यायालय ने निम्नानुसार माना है:

“9... एक संदेह, जैसा कि आपराधिक न्यायशास्त्र में समझा जाता है, एक उचित संदेह होना चाहिए और बरी होने के पक्ष में निष्कर्ष निकालने का बहाना नहीं होना चाहिए। बिना किसी गलती के बरी होना समाज में भेड़ियों को आसान शिकार के लिए प्रोत्साहित करता है, खासकर तब जब सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 14

एस.सी.आर. अपराध असहाय महिलाएं हैं। आपराधिक अदालतों द्वारा दर्ज किए गए गैर–योग्य बरी होने की संख्या में वृद्धि ने बलात्कारियों को मौत की सजा देने की मांग को जन्म दिया है। अदालतों को जिम्मेदारी की अधिक भावना प्रदर्शित करनी होगी और महिलाओं पर यौन हमले के आरोपों से निपटने के दौरान अधिक संवेदनशील होना होगा। भरवाड़ा भोगिनभाई हिरजीभाई वी। गुजरात राज्य:– (1983) 3 एससीसी 217 इस न्यायालय ने कहा कि यौन उत्पीड़न की शिकार महिला की गवाही पर कार्रवाई करने से इनकार करना, चोट का अपमान है। इस अदालत ने ऐसे पीड़ितों के साक्ष्य को संदेह, अविश्वास या संदेह से भरे लेंस ों से लगे चश्मे की सहायता से देखने की निंदा की। हमें केवल अपने आप को यह याद दिलाने की आवश्यकता है कि इस न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह मामले में हममें से एक (डॉ. ए. एस. आनंद, जे. जैसा कि उस समय लॉर्डशिप था) के माध्यम से क्या कहा है: – (1996) 2 एससीसी 384: पी 403, पैरा 21)

"T.A.] बलात्कारी न केवल पीड़ित की गोपनीयता और व्यक्तिगत अखंडता का उल्लंघन करता है, बल्कि अनिवार्य रूप से इस प्रक्रिया में गंभीर मनोवैज्ञानिक और शारीरिक नुकसान पहुंचाता है। बलात्कार केवल एक शारीरिक हमला नहीं है – यह अक्सर पीड़ित के पूरे व्यक्तित्व के लिए विनाशकारी होता है। एक हत्यारा अपने शिकार के भौतिक शरीर को नष्ट कर देता है, एक बलात्कारी असहाय महिला की बहुत जरूरत को नीचा दिखाता है। इसलिए, बलात्कार के आरोप में एक आरोपी पर मुकदमा चलाते समय अदालतें एक बड़ी जिम्मेदारी उठाती हैं। ऐसे मामलों से पूरी संवेदनशीलता के साथ निपटा जाना चाहिए। अदालतों को किसी मामले की व्यापक संभावनाओं की जांच करनी चाहिए और अभियोजन पक्ष के बयान में मामूली विरोधाभासों या महत्वहीन विसंगतियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, जो घातक प्रकृति के नहीं हैं, अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन मामले को खारिज करने के लिए। 10. हमारे सामने विचार के लिए उठ रहे प्रश्न हैं: क्या अभियोजन की कहानी, जैसा कि आरोप लगाया गया है, जोड़े गए सबूतों पर अदालत के विश्वास को प्रेरित करती है? क्या अभियोक्ता, एक गवाह निर्भरता के योग्य है? क्या बलात्कार की शिकार हुई अभियोक्ता की गवाही की पुष्टि किए जाने की आवश्यकता है और यदि हां, तो क्या वर्तमान मामले के तथ्यों में ऐसी पुष्टि उपलब्ध है? अभियोक्ता की आयु क्या थी? क्या वह अपराध के लिए सहमति देने वाला पक्ष था? क्या एफआईआर दर्ज करने में अस्पष्ट देरी हुई? 21. वर्तमान मामले में, अभियोक्ता (पीडब्ल्यू –4), लगभग नौ वर्ष की आयु का होने के नाते, अभियुक्त को झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं था। अभियोक्ता (पीडब्ल्यू–4) की गवाही हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम मंग सिंह [न्यायधीश बनुमति] को मामले की पृष्ठभूमि के आलोक में सराहा गया है; इससे भी अधिक, अभियोक्ता (पीडब्ल्यू –4) अपनी चाची के घर वापस जाने के लिए अनिच्छुक थी और प्रतिवादी–आरोपी द्वारा किए गए यौन संभोग के कृत्य की शिकायत अपने शिक्षकों से की, पूजा महाजन (पीडब्ल्यू–1) और रितुबाला (पीडब्ल्यू–2)। उच्च न्यायालय ने अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों के आलोक में अभियोक्ता (पीडब्ल्यू –4) के साक्ष्य की सराहना नहीं की है और प्रतिवादी–अभियुक्त की दोषसिद्धि को बरी करने में गलती की है। उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय टिकाऊ नहीं है और इसे रद्द किया जा सकता है। चूंकि घटना के समय पीड़िता अपनी कम उम्र में थी, इसलिए हमें प्रतिवादी–आरोपी के प्रति सहानुभूति दिखाने का कोई कारण नहीं मिला।

22. परिणाम में, उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है और इस अपील को अनुमति दी जाती है। ट्रायल कोर्ट के फैसले को धारा 376 आईपीसी के तहत प्रतिवादी की दोषसिद्धि और दस

साल के कारावास की सजा की पुष्टि करते हुए बहाल किया जाता है।

23. प्रतिवादी–अभियुक्त को शेष सजा काटने के लिए आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर हिरासत में आत्मसमर्पण करना है, जिसमें विफल रहने पर उसे हिरासत में ले लिया जाएगा।

24. इस आदेश की एक प्रति संबंधित ट्रायल कोर्ट को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाए।

दिव्या पांडे की अपील को स्वीकार किया जाता है।

हिंदी अनुवाद व सत्यापन द्वारा
रेखा रावत
अपर सिविल जज
बरेली